9/01/20

पत्रावली पेश हुई। [illegible] न्यायालय/P.O. सा. के राज्य कार्य में व्यस्त होने से अग्रिम जारी पेशी की गई गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 13/02/2020 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

13/2/20

पत्रावली पेश हुई। वकील अभियोजन उपस्थित। अभियोजी द्वारा दावा का Not Press किए तथ्य वापिस करने बाबत कहा। दावा वापिस Not Press मंजूरी देने पर वापिस किए पश्चात पत्रावली फौजदारी सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

Note Recd
13/2/20